



प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28 सितम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी बाबूराम उर्फ रामबाबू पुत्र श्री विशम्भर निषाद, निवासी जनपद-आगरा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-4400/प्रो0अनु0(7)/14/2025/(बैठक दिनांक-19.01.2026) दिनांक-16.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी बाबूराम उर्फ रामबाबू पुत्र श्री विशम्भर निषाद, ग्राम-नोगमा पारना, थाना-चित्रहाट, जनपद-आगरा का निवासी है। दिनांक 01.08.2018 को बन्दी द्वारा वादी की पत्नी रमा देवी को बीमारी से निजात दिलाने के नाम पर दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिये अपने साथ ले जाकर उसके साथ गलत काम/बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-575/2018, धारा-376, 366, 506 व में मा० सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 24.01.2023 द्वारा 10 वर्ष की कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.10.2025 तक 07 वर्ष, 02 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष, 06 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 66 वर्ष 08 माह है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बन्दी बाबूराम उर्फ रामबाबू पुत्र श्री विशम्भर निषाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में दिनांक 01.08.2018 को बन्दी द्वारा वादी की पत्नी रमा देवी को बीमारी से निजात दिलाने के नाम पर दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिये अपने साथ ले जाकर उसके साथ गलत काम/बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बाबूराम उर्फ रामबाबू पुत्र श्री विशम्भर निषाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी बाबूराम उर्फ रामबाबू (बन्दी संख्या-19243) पुत्र श्री विशम्भर निषाद, निवासी जनपद-आगरा को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बन्दी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
- 3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, 30प्र0 शासन।
- 4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक 28 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी बाबूराम उर्फ रामबाबू पुत्र श्री विशम्भर निषाद, ग्राम-नोगमा पारना, थाना-चित्रहाट, जनपद-आगरा का निवासी है। दिनांक 01.08.2018 को बन्दी द्वारा वादी की पत्नी रमा देवी को बीमारी से निजात दिलाने के नाम पर दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिये अपने साथ ले जाकर उसके साथ गलत काम/ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-575/2018, धारा-376, 366, 506 में मा० सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 24.01.2023 द्वारा 10 वर्ष की कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28.10.2025 तक 07 वर्ष, 02 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष, 06 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 66 वर्ष 08 माह है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बन्दी बाबूराम उर्फ रामबाबू पुत्र श्री विशम्भर निषाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में दिनांक 01.08.2018 को बन्दी द्वारा वादी की पत्नी रमा देवी को बीमारी से निजात दिलाने के नाम पर दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिये अपने साथ ले जाकर उसके साथ गलत काम/बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर पुलिस आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बाबूराम उर्फ रामबाबू पुत्र श्री विशम्भर निषाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।